मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर–दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 12, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री डोमन सिंह नगपुरे, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले में वनों से लकड़ी चोरी किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सागर नगर स्थित सहकारी शीतगृह में कृषकों का आलू क्षतिग्रस्त होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 7 जुलाई, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 1041) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 33 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री धनेश पटिला, जेल मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि कारागार (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 34 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. संकल्प

निर्धारित समय 3 घन्टे

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 नवम्बर, 1999